संशोधित

संख्या : 2282 / 1–10–2012–12(34) / 11टी0सी0–1

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 07 सितम्बर 2012

विषय : वर्ष 2011–12 बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–901 / आपदा–2012, दिनांक 30.07.2012 के अनुक्रम में शा0 सं0–2126 / 1–10–12–12(34) / 11टी0सी0–3, दिनॉक–06 सितम्बर 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रकरण में सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए उक्त पत्र दिनांक 30.07.2012 में उल्लिखित जिला स्तरीय आपदा समिति से अनुमोदित / विभिन्न कार्यदायी विभागों की स्वीकृत परियोजनाओं की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल धनराशि रू0 37, 33,95,000 / – (रूपये सैंतीस करोड़ तैंतीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) त्रुटिवश अवमुक्त हो गई है। उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले में स्वीकृत कुल धनराशि रू0 37,33,95,000 /–के स्थान पर अब मांगी गयी कुल धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में **रू–18,66,97,500 / –(रूपये अठारह करोड छियासठ लाख सत्तानवे हजार पॉच सौ मात्र)** ही आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि विषयगत मामले में अवशेष धनराशि, स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन रिपोर्ट सहित निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार स्वीकृत की जायेगी।

3– उपरिसन्दर्भित शासनादेश संख्या–2126 / 1–10–12–12 (34) / 11टी0सी0–3 दिनॉक–06 सितम्बर 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2282 / 1–10–2012–12(34) / 2011टी0सी0–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2– आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8– समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Rnd

(आर0 एन0 द्विवेदी)

अनु सचिव।